

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-04/09/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु पटना नगर निगम, पटना को राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए विशेष स्वच्छता अनुदान के रूप में पटना नगर निगम, पटना को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आकलित राशि	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	पटना नगर निगम	13,33,20,600.00	13,33,20,600.00

कुल स्वीकृत राशि ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र का उपयोग पटना नगर निगम द्वारा पटना शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- (क) डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,  
(ख) कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,

- (ग) कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- (घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- (ङ) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,
- (च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।
3. उपर्युक्त कंडिका- 2(च) के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि उक्त राशि का उपयोग विशेष आयोजनों यथा- दशहरा, दिपावली, छठ पर्व आदि पर भी किया जा सकता है।
4. उक्त स्वीकृत ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
5. उक्त स्वीकृत राशि ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।
6. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।
9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

19

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-18/2015 के पृष्ठ सं०-.....120...../टि० पर दिनांक-.....31.08/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....121...../टि० पर दिनांक-.....31.08/2018 को प्राप्त है।
12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

04.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015 51 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 04.09.18

**प्रतिलिपि:-** आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.09.18

सरकार के विशेष सचिव।